



बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, http:// : bsea.bihar.gov.in, Email: bseapatna@gmail.com

पटना/ दिनांक 21/06/2023

अधिसूचना

संख्या-नि०प्रा०/नि० 1-11/2023 खण्ड 1167- बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की अधिसूचना संख्या- 917 दिनांक 04.05.2023 द्वारा अन्य समितियों के साथ पूर्वी चम्पारण जिला के सुगौली प्रखंड अंतर्गत सुगौली नगर पंचायत पश्चिमी पैक्स का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया गया था। अपरिहार्य कारणों से उक्त समिति का निर्वाचन कार्यक्रम प्राधिकार के पत्रांक 1066 दिनांक 05.06.2023 द्वारा स्थगित किया गया था।

सुगौली नगर पंचायत पश्चिमी पैक्स के निर्वाचन कार्यक्रम को अधिसूचना संख्या-917 दिनांक 04.05.2023 के क्रम में नामांकन के स्तर से निम्नवत निर्धारित किया जाता है-

(i)	नामांकन की तिथि एवं समय	03.07.2023 (सोमवार) एवं 04.07.2023 (मंगलवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(ii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	05.07.2023 (बुधवार) एवं 06.07.2023 (गुरुवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(iii)	अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि	08.07.2023 (शनिवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(iv)	मतदान, अगर आवश्यक हो	17.07.2023 (सोमवार) 7:00 बजे पूर्वाह्न से 4:30 बजे अपराह्न तक
(v)	मतगणना	17.07.2023 (सोमवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)
(vi)	निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति	19.07.2023 (बुधवार)

2. उक्त निर्वाचन कार्यक्रम के संबंध में सुगौली नगर पंचायत पश्चिमी पैक्स के मतदाताओं के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार यथा माइकिंग, ढोल पिटवाकर एवं सरकारी भवनों पर इशतेहार आदि चिपकाकर किया जाएगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0), सुगौली निर्वाचन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करेंगे। प्रशासक (सुगौली नगर पंचायत पश्चिमी पैक्स) भी निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी अपने स्तर से समिति के सदस्यों को उपलब्ध करायेंगे। दिनांक 30.06.2023 तक इसका अनुपालन प्रतिवेदन निर्वाचन पदाधिकारी प्राधिकार को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

3. जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व के कार्यक्रम के अनुसार नामांकन पत्र दाखिल किया जा चुका है, उन्हें उन्हें नामांकन दायर करने की आवश्यकता नहीं होगी। नये अभ्यर्थी नामांकन पत्र दायर कर सकते हैं।

4. मतदान का समय 07:00 बजे पूर्वाह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक होगा। निर्वाचन पदाधिकारी मतदान की तिथि को मतदान प्रतिशत एवं मतगणना की तिथि को प्रपत्र-ई 18 में निर्वाचित सदस्यों की सूची फैक्स (0612-2231562) तथा ई-मेल (bseapatna@gmail.com) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

5. निर्वाचन पदाधिकारी मतगणना के अगले दिन प्राधिकार के वेबसाइट पर <http://bsea.bihar.gov.in> प्रपत्र-ई 18 (निर्वाचित सदस्यों की सूची) अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही मतगणना के तीन दिनों के भीतर निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर युक्त अंतिम मतदाता सूची (अद्यतनीकरण के पश्चात्) भी प्राधिकार के वेबसाइट पर अपलोड करायेंगे।

6. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति अर्थात् दिनांक 19.07.2023 तक लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता से संबंधित अनुदेश "सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका" के पृष्ठ 122-129 पर देखा जा सकता है।

7. अधिसूचना संख्या 917 दिनांक 04.05.2023 की शेष बातें यथावत रहेंगी।

(पुरूषोत्तम पौसवान)

सचिव।

ज्ञापांक : 1167

पटना/ दिनांक 21/06/2023

प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सचिव

ज्ञापांक : 1167

पटना/ दिनांक 21/06/2023

प्रतिलिपि : प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/ जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (संस०), पूर्वी चम्पारण/ उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी (संस०), पूर्वी चम्पारण/ पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण/ अपर समाहर्ता, पूर्वी चम्पारण/ जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/ प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (संस०), सुगौली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (संस०), पूर्वी चम्पारण से अनुरोध है कि वे इस चुनाव कार्यक्रम की प्रतियाँ अपने स्तर से भी ससमय प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (संस०), सुगौली को उपलब्ध कराने के साथ ही व्यापक प्रचार-प्रसार की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निदेशित करेंगे।

सचिव

ज्ञापांक : 1167

पटना/ दिनांक 21/06/2023

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव

ज्ञापांक : 1167

पटना, दिनांक 21/06/2023

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने स्तर से कृपया निदेश निर्गत करना चाहेंगे।

सचिव

ज्ञापांक : 1167

पटना, दिनांक 21/06/2023

प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना का कोषांग/ सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रशाखा पदाधिकारी (स्थापना) को इस निदेश के साथ प्रेषित कि निर्वाचन की तिथि को कंट्रोल रूम बनाने का आदेश निर्गत कराना सुनिश्चित करेंगे।

सचिव